THE RAJASTHAN KILABANDI RULES, 1955

CONTENTS

नियम पृष्ठ

1. शीर्षक, आरम्भ व विस्तार 546
2. परिभाषा 546
3. तैयारी प्रारम्भिक कागजात 546

फार्म नं. 1 से 3 550

राजस्थान किलाबन्दी नियम, 1955

[Noti. No. एफ. 6(400) राजस्व /55, dt. 23.8.1955—Raj. Gaz., Pt. IV(C), dt. 19.11.1955]

राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट, 1954 (राजस्थान एक्ट संख्या 27 सन् 1954) की धारा 28 में दिए हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए खेतों को चोकोर बनाने की निमित्त राजस्थान सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है–

1. **शीर्षक, आरम्भ व विस्तार.**–(1) ये नियम राजस्थान किलाबन्दी नियम, 1955 कहलायेंगे।

(2) ये नियम राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रभावशाली होंगे।

(3) इनका विस्तार उन क्षेत्रों में होगा जो राजस्थान कोलोनाईजेशन के तहत कोलोनी घोषित होगा।

2. **परिभाषा.**–शुद्ध 'हकदार' में केवल ऐसे भूमि अधिकारी जिन्हें अपने खेतों की भूमि पर मालकाना मौरूसी अथवा खातेदारी तक हासिल है या उनके तहत के ऐसे काश्तकार जिन्हें उनकी काश्त की भूमि पर मौरूसी या खातेदारी हक प्राप्त है और इवेक्यू भूमि के मुरतकिल अलाटी ही शुमार होंगे। शिकमों काश्तकारी, काश्तकारी ताबे मर्जी सरकारी भूमि के आराजी काश्तकार व इवेक्यू जमीनों के गैर मुरतकिल अलाटी व अन्य मुकामी काश्तकारी जिन्हें ऐसी जमीनें गैर मुरतकिल तौर पर काश्त के लिये बताई गई है, शुमार नहीं होंगे।

3. **तैयारी प्रारम्भिक कागजात.**–(क) महकमा बन्दोबस्त या तहसील से मसावी बन्दोबस्त बरामद कराई जाकर पटवारियान को मुहैया की जावेगी। पटवारी मौके पर पहुँच कर गांव की चौतरफा की सरहद के साथ चलने वाले दोनों तरफ के मुरब्बों के पत्थरों को सरहद के तुदा राहदा का मुकाबला करते हुए गराावियों पर पैन्सिली कायम करेगा। पटवारी के मुरब्बा पत्थरों को कायम कर लेने के बाद गिरदावर उनकी 100 प्रतिशत, नायब तहसीलदार 30 प्रतिशत व तहसीलदार 5 प्रतिशत जांच करेंगे और जांच मुकम्मिल हो जाने के बाद गिरदावर लाल स्याही से पुख्ता करेगा और गांव के मुरब्बों की नंबर अन्दाजी करेगा। इस नम्बर अन्दाजी के करने में सिलसिलेवार नम्बर 1, 2 व 3 नहीं डाले जायेंगे बल्कि हर एक मुरब्बे के उत्तरी पूर्वी कोने का नम्बर लाल स्याही से हर मुरब्बे के बीच में दर्ज किया जावेगा। मुरब्बा लाईन पुख्ता हो जाने के बाद पटवारी हर मुरब्बे को पांच भागों में विभाजित करेगा। उसमें हरी स्याही से किला लाइनें खिंचे और उनमें किला नम्बर हरी स्याही से सिलसिलेवार 1, 2 व 3 देगा।

(ख) उपरोक्त तरीके से प्रभावित नक्शा देह तैयार हो जाने पर पटवारी उस नक्शे का एक अक्स बनायेगा और उसको अपने पास रखकर तैयारशुदा मसावी बन्दोबस्त जिसमें मुरब्बा लाइन व किला लाइनें खिंची हुई है, तहसील में जमा कर देगा।

(ग) अपने अक्स किये हुए नक्शे की सहायता से पटवारी निम्नलिखित रेकार्ड करेगा:

(1) *फेहरिस्त हकदारान*—फेहरिस्त हकदारान चार भागों में तैयार की जावेगी। प्रथम भाग में सरकारी आराजों चाहें पड़त हो, चाहे आराजी काश्त हो, दर्ज होगी। दूसरे हिस्से में हकदार कृषकों की मकबूजा जमीन दर्ज होंगी, इन आराजियात को दर्ज करते हुए सब से पहले व्यक्तिगत (वाहिद) खाते दर्ज होंगे, उनके बाद मुश्तरका खातेजात और सबसे आखिर में मालकाना देहात मशामलात देह की आराजियात का खाता दर्ज होगा। गैर मालमकान देहात में शामलात देह की जमीन सरकारी आराजियांत की फेहरिस्त में सबसे आखिर में दर्ज होगी।

तीसरे भाग में मतरुका आराजियात दर्ज होगी और फेहरिस्त में भी दो भाग होंगे – (1) मुस्तकिल अलाटी (2) गेर मुस्तकिल अलाटी जिन मतरुका आराजियात का बंटवारा नहीं हुआ है और जिसमें मुकामी हकदार न कस्टोडियन दोनों का हक शामिल है, उन आराजियात को भाग नंबर 2 में दर्ज किया जाएगा।

चौथे भाग में ऐसी सार्वजनिक आराजी का इन्दराज होगा जो किसी कब्जे में न होकर सबके लाभ के लिये है, जैसे चौहड़े, रास्ते, शमशान, रेल्वे लाइन व सड़कें आदि।

इस फेहरिस्त में हर हकदार की कुल भूमि मय नम्बरान खसरा मुसल्लराबन्दी व मुकाबले के मुरब्बे व किले के नम्बरान दर्ज किये जावेंगे।

सालिम मुरब्बों के सामने किला के नम्बर 1 लगायत 25 लिखे जावेंगे। फरदन-फरदन हर किले का नम्बर दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी. इस प्रकार सालिम मुरब्बे का रकबा इकजाई 25 बीघा लिख दिया जावेगा, जो मुरब्बे सालिम न हो और जुज में आवें उनके किलों के नम्बर 1, 2 व 3 पूरे लिखे जावें और उनका रकबा 1 बीघा व जुज जिस कदर भी हो किलेवार लिखा जावे।

फेहरिस्त हकदारान किलाबन्दी फार्म नम्बर 1 तैयार होगी।

(2) *खकिलाबन्दी- खसरा* इस रजिस्टर में हर खेत का खसरा नम्बर व मुसल्लसबन्दी दर्ज किया जाकर उसके सामने बताया जावेगा कि वह किस किस मुरब्बा व किला व उसके टुकड़ो में समाता है।

इस रजिस्टर का नमूना किलाबन्दी फार्म नम्बर 2 में माफिक होगा।

(3) *नक्शा रद्दोबदल आराजियात*—उपरोक्त दोनों नक्शे बन जाने के बाद पटवारी हर भूमि अधिकारी व हकुकी काश्तकार व अन्य गैरहकूकी काश्तकार के संबंध में ऐ नक्शा किलाबन्दी (फार्म नं. 3) रद्दोबदल आराजियात तैयार करेगा जिसमें उसके खेतों के ऐसे टुकड़ो का सिर्फ इन्दराज किया जावेगा जो किसी एक किले के जुज में पड़ते हों उन्हें चौकोर बनाने के लिये दूसरे काश्तकार की भूमि से रद्दोबदल करने की जरूरत हो, इस नक्शे के बनाते समय जहां तक संभव हो सके, यह प्रयत्न किया जाना चाहिये कि इस किस्म के दो दो, तीन तीन टुकडों को मिलाकर एक ही किले को पूरा कर दिया जावें और ऐसा करने में यह उसूल रखा जावे कि किले का अधिकांश हिस्सा जिस काश्तकार के पास हो उसी का वह किला दिया जावे, परन्तु जहां रद्दोबदल होने वाले दो काश्तकार की आराजियात किले में आने वाली या जाने वाली आराजियात की हैसियत में अधिक अंतर होने के कारण इस किस्म का रद्दोबदल संभव न हो

तो किले के दो या अधिक टुकडे किये जाकर खेतों को उनमें चोकर तरीके से फिट कर दिये जावें, सालिम खाते को आराजी की रद्दोबदल में अगर 10 बिम्बा तक की कमी वेशी हो तो दरगुजर की जावेगी।

अगर कोई हकदार उपरोक्त तरीके पर आवश्यक आराजियात को रद्दोबदल करने को सहमत न हो तो या इंकार करे तो तहसीलदार को अधिकार होगा कि वह एन आराजियात को रद्दोबदल हुक्मिया करा दे। रद्दोबदल की गई आराजियात की कीमत उस किस्म की जमीन की प्रचलित कीमत के आधार पर निर्धारित कर देगा और उनका अन्तर एक दूसरे हकदार को बतौर मुआवजा दिलवा देगा। प्रचलित कीमत आराजी उस देह या मुलहिका देह के पिछले पांच साल में बिक्री हुई आराजियात के औसत के आधार पर रजिस्टर हाय इन्तकालान या रजिस्ट्री अरीरजियात की सहायता से मुकर्रर की जावेगी अगर कोई हकदार उक्त मुआवजा मुकर्रर वक्त में अदा न करे तो तहसीलदार उसके खिलाफ रिपोर्ट कलक्टर को विनावर कार्यवाही तहत दफा 1 कोलोनाईजेशन एक्ट करेगा।

(4) *प्रारम्भिक कार्यवाही*—प्रारम्भिक कागजात तैयार हो जाने के बाद कोलोनी तहसीलदार या नायब तहसीलदार जिन गांवों में किलाबन्दी का काम करना है संबंधित गिरदावर को साथ लेकर दौरा करेगा। तृजिस गाँव में जाना होगा वहां के पटवारी को दो दिन पहले भेजकर अपने कार्यक्रम की सूचना समस्त हकदारान को करा देगा और उन्हें नियुक्त तारीख पर हाजिर होने की हिदायत कर दी जावेगी। गाँव में पहुँचकर तहसीलदार हकदारान को इकट्ठा करेगा और उनको किलाबन्दी के फायदे समझा कर अपने अपने खेतों में किलाबन्दी करने की हिदायत करेगा। काश्तकारान को यह भली भांति समझा दिया जावे कि उनको अपने अपने खेतों में बटबन्दी खुद करना पड़ेगी और उसके लिये खूंटियों व आश्यक मजदूर खुद देने पड़ेंगे और अगर ऐसा न करेंगे तो सरकार की तरफ से किलाबन्दी कर दी जावेगी और उनसे फी बीघा [1][नालो (क्ले) और अन्य सख्त मिट्टी 3/ रु. प्रति बीघा (2) मटियानी लूम, और रैतीली मिट्टी 211/प्रति बीघा वसूल किया जावेगा]। हकदारान को उपरोक्त विषय पूरी तौर पर समझने पर तहसीलदार उनसे दरियाफ्त करेगा कि क्या वे अपने अपने खेतों की बटबन्दी अज खुद करेंगे या सरकार के द्वारा फीस देकर कराना चाहते है, जो लोग अज खुद बटबन्दी करने की स्वीकृती दें या जो अबदायगी फीस बटबन्दी कराना चाहे उनकी लिखित रजामन्दी वसूरत व दरख्वास्त हासिल कर ली जावेगी और एक सप्ताह की मियाद में किलाबन्दी आरम्भ करने की हिदायत कर देगा साथ ही साथ तहसीलदार बटबन्दी का कार्य खत्म करने का समय नियुक्त करेगा, परन्तु हर सूरत में किलाबन्दी को खूंटियां लगा देने के बाद एक सप्ताह में शुरू करके एक महीने हर काश्तकार को बटबन्दी खत्म करना लाजिमी होगा। पटवारी को चाहिये कि खूंटी गाडते ही खूंटियों के बीच में हल से (उभरा) खूड निकलवा दे।

अगर तहसीलदार के दौरे के वक्त कुल हकदारान इकट्ठ न हो सके और कुछ गैर हारिज हों तो जो हाजिर है उनकी स्वीकृति ले ली जावें और बकिया के लिए उसी दिन एक इश्तिहार गाँव में चस्पां किया जाकर डोंडी

1. राजस्व विभाग की विज्ञप्ति सं. डी. 17422/एफ. 6/400 रेवेन्यू/बी.55 दिनांक 21.12.1955 द्वारा संशोधित

पिटवा दी जावे कि मुकर्रर तारीख तक (जो 15 दिन से ज्यादा दूर न होगी) वे अगर अजखुद किलाबन्दी करना चाहते हो तो अपनी लिखित स्वीकृति संबंधित पटवारी के पास दाखिल कर दे वर्ना उनके खेतों की बटबन्दी सरकारी खर्चप्त से शुरू कर दी जावेगी और मुकर्रर फीस वसूल की जावेगी. यदि 15 दिन में उनकी लिखित स्वीकृति पटवारी के पास दाखिल न हो तो पटवारी उनके संबंध में अपने नायब तहसीलदार के पास रिपोर्ट करके सरकारी तौर पर उनके खतेतों की बटबन्दी करने की इजाजत हासिल कर लेगा। फिर पटवारी का कर्त्तव्य होगा कि वह संबंधित कृषक को इस हुक्म को फिर से हिदायत करके एक सप्ताह के बाद काम शुरू करेगा। अगर कोई व्यक्ति गाँव से बाहर गया हो या दूसरे गाँव में रहता हो तो तहसीदार को चाहिये कि पटवारी को सरकारी जौर पर बटबन्दी कराने की स्वीकृति देने के पहले उसको बजरिये रजिस्ट्री या दीगर तरीके से इत्तला दे।

देह की मुश्तर्का आराजियात, पड़त सरकारी आराजियात व अन्य ऐसी आराजियात जो किसी के कब्जे में नहीं है या काश्त नहीं होती हो तो उनकी बटबन्दी नहीं कराई जावेगी और उनके अलाट होने पर संबंधित अलाटियान से उपरोक्त रीति से करानी होगी।

(5) *तकरूरी जरीब करान व अन्य खर्चा*—जहाँ काश्तकारान अजखुद किलाबन्दी करेंगे, तो किलाबन्दी के लिए अजखुद खूंटिया, जरीबकस, लाइन सिधाई के लिए हल व बटबन्दी के लिये मजदूरान आदि की जरूरत होगी ये सब काश्तकारान को अपने खर्च से देनी पड़ेगी, और खूटि्टयां, मजदूरान आदि की जरूरत होगी ये सब काश्तकारान को अपने खर्च से देनी पड़ेगी, और खूंटि्टयां, गाड़ने के लिये अपने खेत के लिए प्रतिदिन निम्नलिखित तादाद में काम करने वाले भी देने होंगे:

(1) जरीबकसान 2

(2) झन्डीवरदारान 2

(3) ऊंटवाला पानी व सामान के लिये 1

(4) खूंटीवाला 1

(5) बटबन्दी करने वाले 3

(6) *बटबन्दी*--किलाबन्दी करते वक्त पटवारी पहिले मौके पर जाकर बाहरी बटबन्दी यानी मुरब्बा के पत्थरों के बीच में सिधाई लेकर मुरब्बों के पत्थरों के दरमियान एक एक बीघा के फसले पर खूंटिया गड़वायेगा ओर उसी मुरब्बे के अन्दरूनी किलों की भी किलाबन्दी करायेगा। उसने बाद बटबन्दी शुरू होगी, मुरब्बों की बटबन्दी बड़ी और मोटी करीब 1 फुट ओर किलों की बटबन्दी छोटी करीब 9 इंच कराई जावेगी।

(7) *रास्तेजात व सार्वजनिक स्थान*—साबका देहाती रास्तेजात को कृषकों दरियाफत करके उनकी मौजूदा हालत में ही उनकी बटबन्दी करा दी जावें।

जोहड़, शमशान, कब्रिस्तान, स्कूल व आबादी आदि सार्वजनिक स्थानों की भी टेढ़ी मेढ़ी शक्लों, सरकारी या देहात की शमलात मिलाकर जहां तक हो सके मुरब्बा या किला लाइन पर लाया जावें।

किलाबन्दी के सिलसिले में दो गाँवों की दरमियानी हदूद लाइन बदस्तूर रक्खी जावें, क्योंकि चकबन्दी का अमल होने पर सरहदी लाइन मुरब्बा लाइन पर आ जावेगी।

फार्न न. 1

फेहरिस्त हकदारान व काश्तकारान गाँव ..... तहसील .....

नम्बर शुमार खाता पटवारी	नाम खातेदार	किस्म हकूक	नाम काश्तकार	नम्बर खसरा
1	2	3	4	5

रकबा	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	रकबा	कैफियत
6	7	8	9	10

फार्न न. 2

खसरा किलाबन्दी गाँव ..... तहसील .....

नम्बर शुमार	नाम खातेदार	भूमि काश्तकार	नम्बर खसरा
1	2	3	4

रकबा	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	रकबा	कैफियत
5	6	7	8	9

फार्न न. 3

फेहरिस्त तबादला आराजी व सिलसिला किलाबन्दी गाँव ..... तहसील .....

नम्बर शुमार	नम		बरुये मुसल्लिस बन्दी		
	खातेदार	काश्तकार	नम्बर खसरा	श्रकबा	किस्म
1	2	3	4	5	6

बरुये मुरब्बा बन्दी			तफसील		
नम्बर खसरा	श्रकबा	किस्म	रकबा जो गया		
			नम्बर खसरा मुख जुज	श्रकबा	किस्म
7	8	9	10	11	12

रकबा रद्दोबदल			कैफियत मय वजह कमीवेशी रकबा
रकबा जो आया			
नम्बर खसरा मुखजुज	किस्म	रकबा	
13	14	15	16